रजिस्ट्री सं.: डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 1994/आश्विन 14, 1916
NO. 507] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 1994/ASVINA 14, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1994

का. आ. 729(अ) :— केन्द्रीय सरकार, मसाला उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 11) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 975(अ) तारीख 6 नवम्बर, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,

(क) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 31 दिसम्बर, 1994 तक रखा

जाएगा, अर्थात :—

"2. काली मिर्च (लवण जल में हरी मिर्च को छोड़कर) : शून्य"

(ख) क्रम सं. 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 सितम्बर, 1995 तक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"24, कैपर : शून्य"

(ग) "ऊपर निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले तथा "तेल या तेलरालों के रूप में हों" शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 सितम्बर, 1995 तक रखा जाएगा, अर्थात :—

"ऊपर विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपकर की दर निम्नलिखित के रूप में होगी –

(क) ऐसे मसालों पर, जो कड़ी पाउडर, मसाला उत्पाद, मसाला पाउडर और अन्य मिश्रण के रूप में हैं और जिनमें (मसाला तेल और ऑलियो रेजिन को छोड़कर) मसाला अंश प्रमुख, हैं एक प्रतिशत ;

(ख) ऐसे मसालों पर, जो मसाला तेल और ऑलियो रेजिन के रूप में हैं, : शून्य"।

[फा. सं. 9/3/94 – ई. पी. (एग्री – 5)]

जे. एस. गिल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :– मूल अधिसूचना सं. 975(अ) दिनांक 6 नवम्बर, 1987 के द्वारा जारी किया गया और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया : —

1. सं. का. आ. 132(अ) दिनांक 13 फरवरी, 1992
2. सं. का. आ. 243(अ) दिनांक 27 मार्च, 1992
3. सं. का. आ. 486 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 1992
4. सं. का. आ. 772(अ) दिनांक 16 अक्तूबर, 1992
5. सं. का. आ. 734(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1993

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 1994

S.O. 729(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Spices Cess Act, 1986 (11 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government

of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 975(E), dated the 6th November, 1987, namely :—

In the table annexed to the said notification,

(a) for Sl. No. 2 and the entries relating thereto the following shall be substituted with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto 31st day of December, 1994, namely :—

"2. Pepper (except Green Pepper in brine) : Nil"

(b) for Sl. No. 24 and entries relating thereto the following shall be substituted with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto the 30th day of September, 1995, namely :—

"24. Saffron : Nil"

(c) for the words beginning from "notwithstanding anything" and ending with "oil and oleoresins" the following shall be substituted with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto 30th day of September, 1955, namely :—

"Notwithstanding anything specified above, the rate of cess shall be

(a) one per cent on spices which are in the form of curry powders, spice products, spice powders and other mixtures where spice content (other than spice oil and oleoresins) is predominant;

(b) nil on spices which are in the form of spice oil and oleoresins."

[F. No. 9|3|94-EP(AGRI.V)]

J. S. GILL, Jt. Secy.

Foot note : Principal notification was issued vide S.O. 975(E), dated the 6th November, 1987 and subsequently amended by the following notifications :—

1. No. S.O. 132(E), dated 13th February, 1992.
2. S.O. 243(E), dated 27th March, 1992.
3. No. S.O. 486(E), dated 1st July, 1992.
4. No. S.O. 772(E), dated 16th October, 1992.
5. No. S.O. 734(E), dated 30th September, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994